मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

निरंजन शर्मा बनाम पवन कुमार आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 179/2019

निर्णय दिनांक :– 6-12-2021

वादी की ओर से वकील कृष्ण शर्मा की व प्रतिवादी सं० 1 [illegible] की ओर से वकील सरजीत [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा मुंआं के खाता सं० 108/96 के खसरा सं० 61 को 0.443 है०, खसरा सं० 63 को 0.240 है०, खसरा सं० 65 को 1.429 है०, खसरा सं० 67 को 3.541 है० कुल 5.653 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 पवन कुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से प्रतिवादी सं० 1 पवन कुमार के बजाए वादी निरंजन शर्मा व प्रतिवादी सं० 1 पवन कुमार, प्रतिवादी सं० 2 धीरज शर्मा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
कैम्प ...

Scanned with CamScanner